

#24 वोट वापसी मुख्यमंत्री

यह प्रस्तावित क़ानून मुख्यमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाता है। इस क़ानून को विधानसभा से पास करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेज़ेट में छाप सकते हैं। यह क़ानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे बदलना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हूँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हूँ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि एक सुझाव है। इस क़ानून का पूरा ड्राफ़्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/VvpCm](https://tinyurl.com/VvpCm)



मुख्यमंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए हैं

- (1) मुख्यमंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर के सामने ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 10,000 रु का शुल्क लेकर उसे मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और ऐफिडेविट को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा।
- (2) पदासीन मुख्यमंत्री निचे दी गयी दो स्थितियों में से अपनी पसंद के अनुसार उच्च संख्या को चुन सकते हैं :
 - नागरिकों द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की संख्या, अथवा
 - मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों को चुनाव में प्राप्त हुए मतों का कुल योग।
- (3) यदि किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या पदासीन मुख्यमंत्री की स्वीकृतियों या मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों को प्राप्त मतों की कुल संख्या से 10 लाख अधिक हो जाती है तो विधायक सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया मुख्यमंत्री नियुक्त सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।

स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि, 3 करोड़ आबादी एवं 200 विधानसभा सीटों के राज्य में X मौजूदा सीएम है, और उसे विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिये, इन 120 विधायकों को चुनाव में कुल 1 करोड़ मत मिले थे, और X को नागरिकों से सीधे प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों की संख्या 80 लाख है।

1. मान लीजिये, Y सीएम का एक प्रत्याशी है और उसे 90 लाख नागरिक स्वीकृतियां दे देते हैं तो भी X सीएम बना रहेगा, क्योंकि X को जिन विधायकों का समर्थन प्राप्त है, उनके मतों का योग 1 करोड़ है। किन्तु यदि Y को 1.10 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो X अपना इस्तीफा दे सकता है।
2. अब मान लीजिये, Y को 1.10 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती हैं, किन्तु यदि X सीएम के रूप में संतोषप्रद काम कर रहा है, अतः X की स्वीकृतियां बढ़कर यदि 1.15 करोड़ हो जाती हैं, तो भी X सीएम बना रहेगा।